न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी

पीठासीन अधिकारी–पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद सं. 209/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भोमसिंह पुत्र गंगासिंह 2. अनोपसिंह उर्फ कालुसिंह पुत्र गंगासिंह 3. छैलकंवर पुत्री गंगासिंह 4. कैलाशकंवर पुत्री गंगासिंह जाति–राजपूत निवासी–मोटाई तहसील–फलोदी जिला–जोधपुर (राज.)		1. रूपसिंह पुत्र जमनसिंह जाति–रावणा राजपूत निवासी–डांगरी तहसील–फतेहगढ़ जिला–जैसलमेर 2. तहसीलदार, बाप हाल–फलोदी जिला–जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री रेवन्तसिंह पातावत अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी सं. 1 एक एवं 2 दो के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 5/08/2019

वाद का सारांश है कि मूल राजस्व ग्राम मोटाई तहसील फलोदी में खसरा नं. 119 रकबा 633 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी–चारम काश्त भूमि वक्त भू प्रबन्ध वादीगण के पिता गंगासिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम अन्य खसरान की काश्त भूमि के साथ बाद पैमाइश दर्ज अभिलेख की गई थी। खसरा सं. 119 में से 183 बीघा 9 बिस्वा पर रूपसिंह पुत्र जमनसिंह नाम का कोई व्यक्ति कभी उपकाश्तकार नहीं रहा रूपसिंह के नाम धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नामान्तरकरण सं. 44 गलत स्वीकृत कर उसके नाम खातेदारी के राजस्व अभिलेख में कतई गलत व गैर कानूनी तरीके से अंकित किया गया प्रतिवादी सं. 1 रूपसिंह का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कभी भी कोई सम्बंध एवं हक हिस्सा और हित नहीं रहा। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोटाई के द्वारा वादीगण के पिता की भूमि को नाजायज तरीके से हड़प कर खुर्द बुर्द करने की बदयांति से रूपसिंह पुत्र जमनसिंह नाम

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

बनाम ठा. श्री गोपालजी में खातेदार कृषक को सुनवाई का अवसर दिये बिना उप काश्तकार को खातेदारी प्रदान करना न्याय के सामान्य सिद्धान्त के विपरित बताया है RRD 1962 पेज 239 श्री नथू बनाम सेवा, RRD 1963 पेज 331 उदमीराम बनाम रामदेव के निर्णय में उपकाश्तकार का दिनांक 15–10–1955 लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दिनांक को राजस्व अभिलेख रजिस्टर (जमाबंदी) में दर्ज होना आवश्यक बताया है।

वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार गंगासिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के विधिक उत्तरजीवी है गंगासिंह की मृत्यु हो जाने का प्रमाण पत्र तथा गंगासिंह के विधिक उत्तरजीवी होने सम्बंध पहचान पत्र पेश किये है वादीगण की तरफ से जुबानी साक्ष्य में वादी सं. 1 एक भोमसिंह पीडब्ल्यू 1 एक ने भूमि वक्त भू प्रबन्ध गंगासिंह की खुदकाश्त और गंगासिंह के जीवनकाल से आज तक उस पर वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त नहीं होने की पुरजोर साक्ष्य दी है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन से वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है इसलिए वादीगण का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 119/357 रकबा 183 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी चारम ग्राम गांधीनगर का वादीगण को खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है ग्राम मोटाई के नामान्तरकरण सं. 44 को निरस्त किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 एक के नाम की जमाबंदी प्रविष्टियों को प्रभावहीन करार घोषित किया जाता है तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5/08/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
फलोदी

Scanned by CamScanner

छापने का पता : यूनिक ट्रेडर्स डिपोजिटर्स, जोधपुर

डिगरी बमुकद्मे इब्तदाई

(आ० २१ रूल ६, ७ जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी मुकाम फलौदी

ब इजलास पुष्पाकंवर सिसोदिया (R.A.S.)

1. ओमसिंह पुत्र गंगासिंह
2. अनोपसिंह उर्फ कालुसिंह पुत्र गंगासिंह
3. छैलकंवर पुत्री गंगासिंह
4. कैलाशकंवर पुत्री गंगासिंह
जाति - राजपूत नि. - मायाड़ तह. - फलोदी (जोधपुर)

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र जामनसिंह जाति - रावणा राजपूत नि. - डांगरी तह. - फतेहगढ़ जिला - जैसलमेर
2. तहसीलदार बाप, हाल - फलोदी जिला - जोधपुर

दावा बाबत 88, 92-A RT Act. मुकद्मा नं० 209 सन् 18

यह आज मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई हमारे मेरे

व हाजरी रेवन्तसिंह पालावत मिनजानिब मुद्दई व — मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

जाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ख. सं. 119/357 रकबा 183 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी वाक्य ग्राम गांधीनगर का वादीगण को खातेदार काश्तकार [illegible] काबिज घोषित किया जाता है। ग्राम मोराई के मा. सं. 44 को निरस्त किया जाता है। प्रति. सं. 1 के नाम की जमाबंदी प्रविष्टियों को प्रभावहीन करार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया।

नोट .... मुतालिका .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्मे के जो मुद्दई व मुद्दायलाह .... को मय खानगी ब्याज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

दसीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 08 सन् 2019 को

जारी की गई है।

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहन्ताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या न दिलाया गया हो नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner